UPLK010058672026

न्यायालय SPL.JUDGE(SC/ST ACT), Lucknow

पीठासीन अधिकारी– (Smt. Neetu Pathak), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06198**

Criminal Misc. Cases/703/2026

वंदना उम्र लगभग 35 वर्ष पत्नी पंकज कुमार पुत्री रामदास निवासी–जी–53 आदिल नगर, कल्याणपुर पश्चिम, थाना–गुडंबा, लखनऊ।

.....प्रार्थिनी/वादिनी।

बनाम

शुभम पाण्डेय पुत्र अनिल पाण्डेय निवासी इन्द्रलोक कॉलोनी, शाहजादपुर, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर, लखनऊ। वर्तमान पता– फ्लैट नं० सी–31, अर्बन वुड अपार्टमेंट, अंसल, लखनऊ।

.....विपक्षी/प्रतिप्रार्थी।

दिनांक–23.06.2026

1. आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थनापत्र बी०एन०एस०एस० की धारा–173(4) में यह कथन किया है कि "प्रार्थिनी/वादिनी ने एक Partnership Firm K.P.K. Enterprises (GST No.09AAWFK4726F1ZV) दिनांक 19.7.2020 को विपक्षी के साथ मिलकर खोला जिसका रजिस्टर्ड पता G–53 है। पार्टनरशिप फर्म के अनुसार प्रार्थिनी/वादिनी 30% और विपक्षी 70% का मालिकाना अधिकार रखते हैं। इस फर्म से पहले एक Company CCB (Country construct Buildcon) का निर्माण 2014 में किया गया था जिसमें विपक्षी और अभिषेक शर्मा पुत्र अनिल कुमार शर्मा 50%–50% का मालिक आना हक रखते हैं। पूर्वांचल हाइवे एक्सप्रेस–वे के निर्माण में Dilip Build Con. (D.B.L) से आजमगढ़, अतरोलिया में कार्य के लिये C.C.B को work order मिलने के बाद से दिनांक 16.03.2021 से कार्य (मिट्टी फिलिंग/Earth Work) आरम्भ किया गया। C.C.B के बैंक खाते (ICICI) में जो भी Payment D.B.L से आता था, वो विपक्षी के माध्यम से K.P.K Enterprises में Fund Transfer किया जाता था। यह कार्य 16.03.2021 से प्रारंभ होकर अप्रैल 2023 तक किया गया। 01 अप्रैल, 2023 के बाद C.C.B के द्वारा कार्य रोक दिया गया। D.B.L द्वारा 8.2.2022 को एक बिल जनरेट किया गया। पुनः D.B.L (Dilip Build Con.) में K.P.K के द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया। एक माह में ही K.P.K के द्वारा कार्य रोक दिया गया। 16.03.2021 से 02.09.2023 तक जो भी फंड आया उसे K.P.K. में हस्तांतरित किया गया। C.C.B. Company (Country construct Buildcon) में प्रार्थिनी/वादिनी के पति पंकज कुमार को Senior Employee Manager के पद पर 50,000/–प्रति माह के रूप में देना स्वीकार हुआ था। 23 महीने के कार्य के लिए लगभग

4 लाख रुपये वेतन के रूप में दिये गये। मेरे पति का वेतन लगभग 7,50,000/–लाख रुपए बकाया है। विपक्षी बार–बार वादा करते हैं कि Final Payment आने पर वह बकाया वेतन का भुगतान कर देंगे। K.P.K Enterprises द्वारा दिनांक 01.04.2022 से लेकर 01.12.2022 के बीच निम्न Assets खरीदे गएः– (a) One Exavator (56 Lakh approx), (b) Two Hywa Dumper (1 Crore Approx), (c) One Bolero Camper (Rs 8,99,000 approx), (d) One Innova (25 Lakh Approx)

2. विपक्षी ने इनोवा गाड़ी खरीदते वक्त 6 लाख कंपनी के खाते से दिया था। सभी Assets को अलग–अलग बैंक द्वारा लोन पर लिया गया है, जिसकी किस्ते आज भी बकाया हैं जो की विपक्षी द्वारा कंपनी में आये हुए लाभ से लोन न अदा करके सभी Assets को किराए पर देकर उसका पैसा स्वयं खर्च किया जा रहा है जिसका फायदा प्रार्थिनी/वादिनी को नहीं दिया जा रहा है। K.P.K. में 2021 से 2023 तक जो भी प्रॉफिट हुआ, उसका एक भी पैसा प्रार्थिनी/वादिनी को नहीं दिया गया। कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये प्रार्थिनी/वादिनी द्वारा व प्रार्थिनी के पति द्वारा लगभग रु० 09 लाख K.P.K Firm के बैंक खाते (ICICI) में कई टुकड़ों में दिये गया व विपक्षी के बैंक खाते (S.B.I/H.D.F.C) बैंक में लगभग रु 6–7 लाख टुकडों में प्रार्थिनी/वादिनी के पति द्वारा व नगद 3 लाख रु. विपक्षी को दिया गया। विपक्षी ने इसी तरह कार्य में ठगी करके लोगों को धोखा देकर पैसा लूटा है। विपक्षी पर उन्नाव में एक Labour Court Case और एक केस Haryana में चल रहा है। गाड़ियों की लगभग करीब 2 साल की किस्तें बाकी हैं जो विपक्षी ने नहीं चुकाई हैं। बैंक वाले मेरे घर/आफिस में मुझसे बकाया किश्त की वसूली के लिए आ रहे हैं, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। विपक्षी कोई किश्त नहीं दे रहे है और गाडियों को किराये पर चला कर उससे आने वाली धनराशि का प्रयोग अपने निजी कार्य में प्रयोग कर रहे हैं। गाड़ियों की Fitness, Insurance, Tax बकाया करके भी दंबग व निडर होकर गाड़िया चलवा रहे हैं। आपत्ति करने पर विपक्षी, प्रार्थिनी को धमका रहे और गाली गलौज करते हैं। Loan Recovery Legal Notice प्रार्थिनी/वादिनी को प्राप्त हो रही है। प्रार्थिनी के अधिवक्ता द्वारा लीगल नोटिस का जवाब दे दिया गया है। प्रार्थिनी द्वारा विपक्षी से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, किन्तु वह गाली–गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देता है और शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता है। प्रार्थिनी द्वारा दिनांक 30.01.2026 को थाना गुडम्बा, लखनऊ में प्रार्थना पत्र दिया गया, किन्तु थाना प्रभारी द्वारा न तो कोई जांच की गई और न ही विपक्षी को बुलाया गया। प्रार्थिनी द्वारा दिनांक 14.02.2026 को पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ को डाक द्वारा आवेदन भेजकर FIR दर्ज करने की मांग की गई, जो प्राप्त भी हो गया, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थिनी द्वारा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 12.03.2026 द्वारा प्रार्थिनी को धारा 173(4) BNSS के अंतर्गत मजिस्ट्रेट न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत करने की

स्वतंत्रता प्रदान की। विपक्षी के उक्त कृत्य से प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, गबन, धमकी व अन्य संज्ञेय अपराध बनते हैं जिनकी जांच पुलिस द्वारा किया जाना आवश्यक है। प्रार्थिनी को लगातार बैंक से रिकवरी नोटिस मिल रहे हैं तथा विपक्षी की धमकियों के कारण प्रार्थिनी एवं उसके परिवार को गंभीर मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षति हो रही है। विपक्षी द्वारा प्रार्थिनी के साथ छलपूर्वक साझेदारी कर कंपनी के धन, मशीनरी एवं वाहनों का व्यक्तिगत उपयोग करना आपराधिक विश्वासघात (Criminal Breach of Trust) तथा विपक्षी ने जानबूझकर प्रार्थिनी को गलत जानकारी देकर एवं वास्तविक आय और व्यय को छिपाकर कंपनी के लाभ को हड़प लिया, जिससे आपराधिक गबन (Misappropriation) का अपराध बनता है। विपक्षी का कृत्य भारतीय न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की श्रेणी में आता है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा किया जाना आवश्यक है। प्रार्थिनी द्वारा थाना गुडम्बा तथा पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में कई बार शिकायत देने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई FIR दर्ज नहीं की गई, जिससे प्रार्थिनी के पास न्यायालय की शरण लेने के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभावी उपाय शेष नहीं है। यदि इस मामले में शीघ्र पुलिस जांच नहीं कराई गई, तो विपक्षी द्वारा कंपनी की संपत्तियों को बेचने, छिपाने या स्थानांतरित करने की पूरी संभावना है जिससे प्रार्थिनी को और अधिक नुकसान होगा। न्यायहित एवं निष्पक्ष जांच के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि माननीय न्यायालय थाना गुडम्बा, लखनऊ को निर्देशित करे कि वह इस प्रकरण में FIR दर्ज कर विधि के अनुसार विवेचना प्रारंभ करे। विपक्षी का आचरण भारतीय दण्ड विधि के अंतर्गत धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, गबन, आपराधिक धमकी तथा षड्यंत्र जैसे गंभीर अपराधों की श्रेणी में आता है जिनकी विवेचना पुलिस द्वारा की जानी आवश्यक है। प्रार्थिनी का यह आवेदन पूर्णतः सद्भावना एवं न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिनी द्वारा माननीय न्यायालय से याचना की गई है कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए थाना गुडम्बा, लखनऊ को निर्देशित करने की कृपा करें कि विपक्षी के विरुद्ध धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, गबन, आपराधिक धमकी एवं अन्य संज्ञेय अपराधों के संबंध में विधि के अनुसार एफ०आई०आर० पंजीकृत कर निष्पक्ष एवं प्रभावी विवेचना की जाए तथा विवेचना उपरांत रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए, जिससे प्रार्थिनी को न्याय प्राप्त हो सके।" प्रार्थनापत्र शपथपत्र द्वारा समर्थित है।

3. आवेदिका की ओर से अपने कथन के समर्थन में पार्टनरशिप फर्म विलेख व स्थायी लेखा संख्या कार्ड, जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की छायाप्रति, Dilip Buildcon Ltd. के बिल की छायाप्रति, टैक्स इंवाइस (excavator) की छायाप्रति, आर०सी० की छायाप्रति (गुड्स कैरियर), टैक्स गणना की विवरणी (K.P.K. Enterprises) की छायाप्रति, आई०सी०आई०सी०आई० बैंक के स्टेटमेंट की छायाप्रति, प्रभारी उपायुक्त श्रमायुक्त, जनपद उन्नाव को प्रेषित पत्रों की छायाप्रतियां, मेसर्स सबरी इंटरनेशनल प्रा०लि० एवं

मेसर्स के०पी०के० इंटरप्राइसेस को प्रेषित पत्र व अवार्ड की छायाप्रति, नोटिस अं० धारा 25 Paymend and settlement Act, 2007 व Section 138 NI Act 1881 की छायाप्रति, JM कलकत्ता के समक्ष विचाराधीन C.N. 28548/2025 कोटक महिन्द्रा बैंक बनाम के०पी०के० इंटरप्राइसेस व अन्य में दिये गये Pre–Cognizance की नोटिस व परिवाद के प्रपत्र की छायाप्रति, एच०डी०एफ०सी० बैंक द्वारा के०पी०के० इंटरप्राइसेस को प्रेषित नोटिस की दिनांकित–13.11.2025, 14.08.2025 की छायाप्रति, आई०सी०आई०सी०आई० बैंक द्वारा के०पी०के० इंटरप्राइसेस को जारी पत्र दिनांकित–15.01.2025 एवं एच०डी०एफ०सी० बैंक द्वारा जारी नोटिस दिनांकित–01.09.2025 एवं पत्र दिनांकित–29.08.2024 की छायाप्रति, मेसर्स के०पी०के० इंटरप्राइसेस के विरुद्ध जारी डिमांड नोटिस दिनांकित–13.01.2026 की छायाप्रति, वंदना की ओर से दिये गये जवाब दिनांकित–12.02.2026 की छायाप्रतियां, थानाध्यक्ष गुडम्बा को प्रेषित पत्र दिनांकित–30.01.2026 की छायाप्रति, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ को प्रेषित पत्र दिनांकित–14.02.2026 की छायाप्रति व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस० रिट पिटीशन नं०–2537/2026 वंदना बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांकित–24.03.2026 की सत्यप्रति एवं जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति आदि प्रपत्र दाखिल किये गये हैं।

4. सुना प्रार्थनापत्र एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. प्रार्थनापत्र में प्रार्थिनी द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि प्रार्थिनी वंदना अनूसूचित जाति (पासी) वर्ग से संबंधित है। उसने एक Partnership Firm K.P.K. Enterprises दिनांक 19.7.2020 को विपक्षी के साथ मिलकर खोली जिसमें प्रार्थिनी 30% और विपक्षी 70% का मालिकाना अधिकार रखते थे। वर्ष 2014 में Company CCB (Country construct Buildcon) का निर्माण किया गया था जिसमें विपक्षी और अभिषेक शर्मा पुत्र अनिल कुमार शर्मा 50%–50% के हकदार थे। Dilip Build Con. (D.B.L) को पूर्वांचल हाइवे एक्सप्रेस–वे के निर्माण कार्य के लिये C.C.B को work order मिलने के बाद कार्य प्रारम्भ किया गया। C.C.B के बैंक खाते में जो भी Payment D.B.L से आता था, वो विपक्षी के माध्यम से K.P.K Enterprises में Fund Transfer किया जाता था। दिनांक–16.03.2021 से प्रारंभ होकर अप्रैल 2023 तक कार्य किया गया। दिनांक–01.04.2023 के बाद C.C.B का कार्य रोक दिया गया। पुनः D.B.L में K.P.K के द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया। एक माह में ही K.P.K के द्वारा कार्य रोक दिया गया। 16.03.2021 से 02.09.2023 तक जो भी फंड आया उसे K.P.K. में हस्तांतरित किया गया। C.C.B. Company (Country construct Buildcon) में प्रार्थिनी/वादिनी के पति पंकज कुमार को Senior Employee Manager को 23 महीने के कार्य के लिए लगभग 4 लाख रुपये वेतन के रूप में दिये गये, किन्तु अभी भी लगभग 7,50,000/–लाख रुपए बकाया हैं। K.P.K Enterprises द्वारा दिनांक 01.04.2022 से लेकर 01.12.2022 के बीच विभिन्न Assets

बैंक द्वारा लोन पर लिये गये जिनकी किस्ते बकाया हैं जो की विपक्षी द्वारा कंपनी में आये हुए लाभ से लोन न अदा करके सभी Assets को किराए पर देकर उसका पैसा स्वयं पर खर्च किया जा रहा है जिसका फायदा प्रार्थिनी/वादिनी को नहीं दिया जा रहा है। प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति द्वारा लगभग रु० 09 लाख K.P.K Firm के बैंक खाते में एवं विपक्षी के बैंक खाते में लगभग रु 6–7 लाख दिये गये। विपक्षी द्वारा ठगी करके लोगों का पैसा लूटा गया है। गाड़ियों की किस्तें बकाया हैं जिसके संबंध में वसूली के लिए लोन रिकवरी विधिक नोटिस प्रार्थिनी को प्राप्त हो रही है। संपर्क करने पर विपक्षी गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देता है। इस प्रकार विपक्षी धोखाधड़ी, अपराधिक विश्वासघात, गबन धमकी व अन्य संज्ञेय अपराधों से लिप्त है।

6. न्यायालय द्वारा दिनांक–20.04.2026 के तहत थाना गुडंबा लखनऊ को आदेशित किया गया कि आवेदिका के उपरोक्त प्रार्थनापत्र के संबंध में निम्न बिंदुओ पर आख्या प्रस्तुत करें:–

(1) क्या प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से संबंधित आवेदिका थाना हाजा पर दिनांक 30.01. 2026 को उपस्थित आयी थी, क्या उसकी सी०सी०टी०वी० फुटज में उसके थाने पर आगमन की स्थिति दर्शित हो रहा है?

(2) आवेदिका का थाने के आगंतुक रंजिस्टर में आवेदक के आगमन का इन्द्राज है अथवा नहीं?

(3) प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में थाना हाजा पर कोई मुकदमा पंजीकृत है अथवा नहीं?

(4) आवेदिका वंदना या उसके परिवार के द्वारा विपक्षीगण अथवा उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के अंतर्गत कितने मुकदमें पंजीकृत कराये गये हैं?

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में चौकी प्रभारी थाना गुडंबा लखनऊ द्वारा अपनी आख्या प्रेषित की गई जिसमें बिंदु सं०–1 के बारे में अंकित किया गया है कि दिनांक–30.01.2026 को आवेदिका के थाने आने का सी०सी०टी०वी० दर्शित नहीं हो रहा है। बिदुं सं०–2 के संबंध में कथन किया गया है कि दिनांक–30.01.2026 को आवेदिका के थाने आने के संबंध में कोई इन्द्राज नहीं है। इसी प्रकार बिंदु सं०–3 के बाबत यह अंकित किया गया है कि थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है तथा बिंदु सं०–4 के बाबत यह कथन किया गया है कि थाना स्थानीय पर उक्त प्रकरण के संबंध में कोई भी अभिलेख पंजीकृत नहीं है।

7. प्रार्थनापत्र में आवेदिका द्वारा K.P.K Enterprises से संबंधित वित्तीय संव्यवहार का संपूर्ण विवरण अंकित किया गया है। संलग्नक 1 के रूप में प्रार्थिनी के द्वारा डीड ऑफ पार्टनरशिप दाखिल की गई है जो दिनांक–25.07.2022 की है जिसमें Retiring पार्टनर के रूप में जुनैद खान का नाम अंकित है, लेकिन उसका कोई उल्लेख प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थनापत्र में

नहीं किया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थिनी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि किस अनुबंध के तहत D.B.L. से प्राप्त पेमेंट जो कि C.C.B. के बैंक खाते में जाता था, उसे K.P.K. Enterprises में अंतरित किया था। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रार्थिनी के पति पंकज कुमार C.C.B. Company में सीनियर मैनेजर के पद पर कब से कब तक कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त पार्टनरशिप डीड/संलग्नक 1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त डीड के प्रस्तर 19 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि *यदि पक्षकारों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे आर्बिट्रेशन व कैंसिलेशन ऐक्ट 1996 के अंतर्गत संदर्भित किया जायेगा।*

8. प्रार्थिनी के कथनों से यह परिलक्षित होता है कि उसे K.P.K. Enterprises में हुए मुनाफे का लाभ नहीं दिया जा रहा है। मामला Partmenrs के मध्य आपसी लेन–देन एवं पार्टनरशिप फर्म के वित्तीय संव्यवहार से संबंधित परिलक्षित हो रहा है।

9. निर्णय विधि **नरेश कुमार वाल्मिकी आदि बनाम उ०प्र० राज्य 2022 (121) ए०सी०सी० 782** में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत अभियोग दर्ज कराने हेतु विशेष न्यायाधीश न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को भी परिवाद में व्यवहृत किया जा सकता है। इसमें कोई विधिक बाधा नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा स्वयं जांच किया जाना न्यायोचित होगा।

10. अतः प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस से विवेचना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। निर्णय विधि–**रामबाबू गुप्ता प्रति स्टेट ऑफ यू०पी० 2001 (2) जेआईसी 231 इलाहाबाद हाईकोर्ट फुल बेन्च, योगेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2005 (2) जेआईसी 686 इलाहाबाद हाईकोर्ट, श्रीमती अन्जू प्रति स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य 2009 (4) जेआईसी 779 इलाहाबाद हाईकोर्ट, सुखवासी प्रति स्टेट ऑफ यू०पी० 2008 (1) एसीआर 170(5), मोहन शुक्ला एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2005 (1) एसीआर 155(6), सुरेश चन्द्र जैन प्रति म०प्र० राज्य तथा अन्य 2001 (42) एसीसी 459 (सुप्रीम कोर्ट), जोसेफ माथुरी उर्फ विवेकानन्द व अन्य प्रति स्वामी सच्चिदानंद हरी साक्षी व अन्य 2001 (सप्लीमेंट्री) एसीसी 957 (सुप्रीम कोर्ट)** में दी गयी व्यवस्थाओं के आलोक में यह प्रार्थना पत्र, परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने योग्य है।

11. उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में प्रार्थिनी के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना न्यायसंगत होगा। निर्णय विधि **प्रतीक अग्रवाल बनाम उ०प्र० राज्य 2024 ए०एच०सी०, लखनऊ 78272** में यह व्यवस्था दी गयी है किः–"9–To steer clear the obfuscation, it is necessary to notice the language deployed therein. The Magistrate while taking cognizance of an offence should have with him the statement on oath of the complainant and if any witnesses are

present, their statements. The taking of cognizance under section 223 of the BNSS would come after the recording of the sworn statement, at that juncture a notice is required to be sent to the accused, as the proviso mandates grant of an opportunity of being heard."

12. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परिवादिनी के बयान अंतर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० एवं उसके साक्षीगण के बयान अंतर्गत धारा 225 बी०एन०एस०एस० की प्रति के साथ प्रस्तावित अभियुक्त को नोटिस जारी किया जायेगा और उसको संज्ञान के बिन्दु सुनने के उपरांत समुचित आदेश पारित किया जायेगा। इस परिप्रेक्ष्य में उक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत आवेदिका का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में व्यवहृत किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

13. आवेदिका वंदना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज हो। पत्रावली दिनांक–27.07.2026 को परिवादिनी के बयान अंतर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० हेतु पेश हो।

दिनांक 23.06.2026

(नीतू पाठक)
विशेष न्यायाधीश एस०सी०–एस०टी० ऐक्ट,
लखनऊ
जे०ओ० कोड–यू०पी० 06198